

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/प-1/1/12/वि/स्था/पार्ट/2018/501U

दिनांक: 03.06.2020

:: आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों में से, प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक: प.1(1)प्रसु/अनु-3/2020 दिनांक 16.05.2020 के द्वारा नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्न अभ्यर्थियों को, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर, वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक: एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक: 30.10.2017 के शिड्यूल IV के तहत पे मैट्रिक्स लेवल- V में 14600/- (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर, अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग/कार्यालय में एतद्वारा पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	संवर्ग	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	नियुक्ति/पदस्थापन विभाग/कार्यालय का नाम
1.	श्री राजेश जाट/बजरंग चौधरी	11-08-1999	OBC	307	2082897	राजस्व मण्डल, अजमेर
2.	श्री पिपूष कुमार/वीर सिंह	10-04-1998	OBC	409	2010435	राजस्व मण्डल, अजमेर
3.	श्री धर्मा राम जाट/श्रवण लाल जाट	30-07-1995	OBC	418	1219990	राजस्व मण्डल, अजमेर
4.	श्री सुमित कुमार शर्मा/राम नाथ शर्मा	18-03-1997	GEN	525	2233810	राजस्व मण्डल, अजमेर
5.	श्री नेमीचन्द्र रेगर/रामचन्द्र रेगर	25-07-1998	SC	5219	2082572	राजस्व मण्डल, अजमेर
6.	श्री महावीर बोस/खंगाराम बोस	29-12-1996	SC	5940	1499175	आं.लेखा जांच दल (आय) मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट, बाडमेर
7.	श्री पवन कुमार बैरवा/कैलाश नारायण बैरवा	20-01-1998	SC	6632	2080977	राजस्व मण्डल, अजमेर
8.	श्री भीम सिंह गुर्जर/श्रीराम गुर्जर	05-05-1995	MBC	6939	1421842	राजस्व मण्डल, अजमेर
9.	श्री रामकेश गुर्जर/हंसाराम गुर्जर	16-08-1995	MBC	6963	1823517	राजस्व मण्डल, अजमेर
10.	श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर/राम सिंह गुर्जर	02-02-1994	MBC	7120	1468629	राजस्व मण्डल, अजमेर
11.	श्री गमना राम/दुर्गा राम देवासी	10-09-1995	MBC	7281	1428982	राजस्व मण्डल, अजमेर
12.	श्री रवि कुमार रामावत/रामेश्वर लाल	20-02-1995	SC	8141	2081621	राजस्व मण्डल, अजमेर
13.	श्री प्रमोद जिलोवा/गिरधारी लाल	06-09-1996	SC	8298	2035577	राजस्व मण्डल, अजमेर
14.	श्री राजेन्द्र प्रसाद/सायर लाल	07-05-1986	SC	8334	1865235	राजस्व मण्डल, अजमेर
15.	श्री हेमन्त कुमार खोरवाल/दयाल खोरवाल	29-01-1992	SC	8546	1616697	राजस्व मण्डल, अजमेर
16.	श्री अनिल चौकीदार/रामनिवास	06-07-1999	SC	8831	1411447	राजस्व मण्डल, अजमेर
17.	श्री सोमवीर सिंह/प्रहलाद सिंह	15-12-1994	SC	10180	2341672	राजस्व मण्डल, अजमेर
18.	सुश्री सुरभि चितोडिया/गोविन्द सिंह	16-07-1995	SC	10343	2155285	राजस्व मण्डल, अजमेर
19.	श्री लोकेश मरेठा/मोहन लाल मरेठा	06-07-1997	SC	10384	1744136	राजस्व मण्डल, अजमेर
20.	श्री अरविन्द गवारिया/हीरालाल गवारिया	15-08-1997	SC	10417	1420511	राजस्व मण्डल, अजमेर
21.	श्री पवन कुमार यादव/हरीप्रसाद यादव	24-04-1992	SC	10487	2027909	राजस्व मण्डल, अजमेर
22.	सुश्री निवेदिता चौहान/ओम प्रकाश चौहान	01-01-1992	SC	10932	2038135	राजस्व मण्डल, अजमेर
23.	श्री ओम प्रकाश रैगर/गोपाल लाल रैगर	01-01-1994	SC	10992	1948460	राजस्व मण्डल, अजमेर
24.	सुश्री हर्षा गौड़/अमर सिंह गौड़	26-11-1991	SC	11037	1586304	राजस्व मण्डल, अजमेर
25.	श्री कैलाश चन्द मीना/लक्ष्मी नारायण मीना	20-04-1993	ST	11059	1585187	राजस्व मण्डल, अजमेर
26.	श्री अमर सिंह मीना/दामोदर लाल मीना	05-08-1992	ST	11549	1338093	राजस्व मण्डल, अजमेर

27.	श्री ओम प्रकाश वर्मा/किशन लाल वर्मा	31-12-1990	ST	12480	1948542	राजस्व मण्डल, अजमेर
28.	श्री जितेन्द्र मीणा/सुरेश चन्द मीणा	03-08-1998	ST	12653	1607590	राजस्व मण्डल, अजमेर
29.	सुश्री पायल मीणा/मोती लाल मीणा	09-08-1995	ST	12779	1953458	राजस्व मण्डल, अजमेर
30.	सुश्री पिकी मीणा/भरत लाल मीणा	01-07-1992	ST	13062	1952321	राजस्व मण्डल, अजमेर
31.	श्री कुलदीप मीणा/गिरराज प्रसाद मीणा	03-09-1997	ST	13638	1699845	राजस्व मण्डल, अजमेर
32.	श्री मंगल चन्द मीणा/बद्रीनारायण मीणा	05-12-1989	ST	13794	1698885	राजस्व मण्डल, अजमेर
33.	श्री धनराज मीणा/लड्डू लाल	16-06-1995	ST	13876	1366187	राजस्व मण्डल, अजमेर
34.	श्री तिलक राम मीणा/मुकुट बिहारी मीणा	07-06-1995	ST	14099	2376379	राजस्व मण्डल, अजमेर
35.	श्री प्रदीप मीणा/रामकिशन मीणा	08-04-1987	ST	14505	1856710	राजस्व मण्डल, अजमेर
36.	श्री महेन्द्र कुमार मीणा/राजू लाल मीणा	13-05-1997	ST	14531	1610853	राजस्व मण्डल, अजमेर
37.	श्री सत्येन्द्र मीणा/मुरलीधर मीणा	20-04-1991	ST	15012	2247871	आं.लेखा जांच दल (आय) मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट, झालावाड
38.	सुश्री प्रिया मीणा/मोती लाल मीणा	15-07-1994	ST	15014	1967882	राजस्व मण्डल, अजमेर
39.	श्री दयाराम मीणा/तेजाराम मीणा	03-05-1992	ST	15032	1368005	राजस्व मण्डल, अजमेर

यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगी :-

- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिन में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्य संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- अभ्यर्थी की नियुक्ति, कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
- उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी.एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159/ दिनांक: 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक: 20.10.2015, एवं प011(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक: 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम-16 व परिशिष्ट-iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
- यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गयी एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
- परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
- यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
- दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद की पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
- जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का/आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

- संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
- अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवायें समाप्त कर सकेगी।
- सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
- अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से प्रत्येक पूर्ण मास के आधार पर अनुपातिक आकस्मिक अवकाश देय होगा।
- परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि व राज्य बीमा की कटौती नहीं की जावेगी
- राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम लागू नहीं होकर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या: एफ-7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात किसी भी समय दो से अधिक बच्चे होने पर इन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
- उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक: एफ-6(4) वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ-6(5) वित्त/नियम/99 दिनांक: 27.07.2004 के अनुसार मेडिकलेम बीमा योजना लागू होगी।
- यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शाषित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
- इनकी वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार किया जावेगा।
- MBC के अभ्यर्थियों के संबंध में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3469/2020 अंकित धायल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 26.02.2020 की पालना में अति.पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों की नियुक्ति सृजित छाया पदों (Shadow Posts) के विरुद्ध उक्त आदेश की पालना में अग्रिम आदेशों तक की गई है।
- जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन, मेडिकल प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज शेष है वह कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।


निबन्धक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/प-1/1/12/वि/स्था/पार्ट/2018/5015-5060 दिनांक: 03.06.2020

1. निजी सचिव, मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार(अनुभाग-3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 1(1)प्रसु/अनु.-3/2020 दिनांक 16.05.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, निबन्धक महोदया, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
5. जिला कलेक्टर, बाडमेर / झालावाड
6. राजस्व अपील प्राधिकारी,.....
7. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
8. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,.....
9. कोषाधिकारी,
10. उप निबन्धक (गोपनीय/विभागीय जाँच) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर/बिल्स) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. श्री
13. आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।


उप निबन्धक(प्रशासन)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर